वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 1670/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-10.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 10.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- सिधारीः किशोरी का अपहरण करने वाला वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 28.04.2025 को वादी मुकदमा ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1.मंदीप कुमार पुत्र छोटेलाल उम्र 25 वर्ष 2. अनीता देवी पत्नी छोटेलाल उम्र करीब 42 वर्ष साकिनान गेलवारा हरिजन बस्ती थाना सिधारी, आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया, के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 0195/2025 धारा 137(2) बी0एन0एस0 बनाम 1.मंदीप कुमार पुत्र छोटेलाल उम्र 25 वर्ष 2. अनीता देवी पत्नी छोटेलाल उम्र करीब 42 वर्ष साकिनान गेलवारा हरिजन बस्ती थाना सिधारी, आजमगढ़ के थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता/अपहृता की बरामदगी दिनांक 07.05.2025 को की गयी, मुकदमा उपरोक्त में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 87 बी0एन0एस0 व 7/8 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 10.05.2025 को उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मंदीप कुमार पुत्र छोटेलाल ग्राम गेलवारा हरिजन बस्ती थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को भदुली अण्डर पास बह्दग्राम भदुली से समय 13.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1-मंदीप कुमार पुत्र छोटेलाल ग्राम गेलवारा हरिजन बस्ती थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

02.थाना-फूलपुरः किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 09.05.2025 को मुकदमा वादिनी थाना फूलपुर,जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 06/05/2025 को समय 10.30 बजे रात्रि मे आवेदिका की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष जो शौच के लिये घर के पीछे गयी थी को विपक्षी सुरजीत पुत्र बाबूराम साकिन हैदरीपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ द्वारा छेड़खानी करना,चिल्लाने पर हाथ छोड़ाकर भाग जाना तथा घरवालो से पूछने पर गाली गलौज देना व मारने पीटने के लिये दौड़ा लेना व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रा0पत्र जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-230/2025 धारा 74/131/352/351(3) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1.सुरजीत पुत्र बाबूराम 2. बाबूराम पुत्र किरोधन साकिनान हैदरीपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत होकर उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनाक 10-05-2025 को उ0नि0 अजय कुमार सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़ के द्वारा अभियुक्त सुरजीत पुत्र बाबूराम निवासी हैदरीपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ उम्र 22 वर्ष को समय करीब 09.35 बजे को धारा 74/131/352/351(3) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का अपराध बता कर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- सुरजीत पुत्र बाबूराम निवासी हैदरीपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ उम्र 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-230/2025 धारा 74/131/352/351(3) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह का0 नीरज कुमार यादव व का0 विनोद कुमार भारती थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

03.थाना अतरौलिया: दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक 08.05.2025 को वादी मधिकराम पुत्र स्व0 मुकादम प्रजापति निवासी बेन्दुई थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि उसकी भतीजी सुप्रिया प्रजापति की शादी श्यामू पुत्र रामदरस ग्राम भैरोपुर दरगाह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के साथ 06 वर्ष पूर्व हुआ था। वादी की भतीजी से उसके ससुरालीजन लगातार दहेज की मांग करने व प्रताड़ित करने दहेज ना मिलने पर उसके पति श्यामू पुत्र रामदरश, ससुर रामदरश पुत्र लुरखुर, ननद चंदा, चन्द्रावती पुत्रीगण रामदरश निवासीगण भैरोपुर दरगाह द्वारा वादी की भतीजी को फांसी लगाकर हत्या कर देने के संबंध में दिनांक 08.05.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 156/25 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना अतरौलिया जिला आजमगढ बनाम 1. श्यामू पुत्र रामदरश प्रजापति (पति) 2. रामदरश प्रजापति पुत्र लुरखुर (ससुर) 3. चंदा पुत्री रामदरश प्रजापति (ननद) 4. चन्द्रावती पुत्री रामदरश प्रजापति (ननद) निवासीगण भैरोपुर दरगाह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ और विवेचना हेतु क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महोदय को प्राप्त हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 10.05.2025 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. श्यामू पुत्र रामदरश प्रजापति उम्र करीब 28 वर्ष 2. रामदरश प्रजापति पुत्र लुरखुर उम्र करीब 54 वर्ष निवासीगण भैरोपुर दरगाह थाना अतरौलिया आजमगढ़ को सौ शैय्या अस्पताल अतरौलिया के पास से नियमानुसार समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

04.थाना –मेंहनाजपुर: दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 08.05.2025 को आवेदिका इन्दु देवी पत्नी विरेन्द्र ग्राम खुशनामपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि प्रार्थिनी की पुत्री शीतल देवी व गूड्डू पुत्र नन्दू ग्राम- पिअरी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ विगत एक वर्ष पूर्व कोर्ट मैरेज द्वारा शादी की गयी थी शादी के उपरान्त प्रार्थिनी की पुत्री शीतल अपने पति गूड्डू के साथ ग्राम पिअरी में रह रही थी लेकिन शादी के बाद से ही गूड्डू व इनके पिता नन्दू पुत्र दशवत दहेज के लिये प्रताडित करते रहते थे कि दहेज के लिये ही गूड्डू पुत्र नन्दू व नन्दू पुत्र दशवत निवासी गण ग्राम- पिअरी थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ दिनांक 07.05-2025 को समय करीब 05.00 बजे सायं को शाजिश से जहर दे दिया जिस कारण प्रार्थिनी की पुत्री शीतल की मृत्यु हो गयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 49/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट वादिनी मुकदमा इन्दु देवी पत्नी विरेन्द्र ग्राम खुशनामपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1. गूड्डू पुत्र नन्दू 2. नन्दू पुत्र दशवत निवासीगण पियरी कोसडा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 10.05.2025 को व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त 1. गूड्डू पुत्र नन्दू 2. नन्दू पुत्र दशवत निवासीगण पियरी कोसडा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ को इटैली बाजार तिराहा के पास से समय करीब 07.05 बजे हिरासत पुलिस हिरासत मे लिया गया। बाद गिरफ्तारी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना- कंधरापुर

11 मई को 08 लावारिश वाहनों की होगी निलामी।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है किं थाना कन्धरापुर में 08 अदद लावारिश वाहनो जिसमें 01 अदद चार पहिया वाहन व 07 अदद दो पहिया वाहनों की नीलामी दिनांक 11.05.2025 को श्रीमान् उपजिलाधिकारी सगड़ी महोदय द्वारा निर्धारित है, जिसमें नायब तहसीलदार बिलरियागंज की उपस्थिति में समय प्रातः 10.00 बजे नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी वाहनों का विवरण निम्नवत है।

क्र0स0	थाना	धारा	रजिस्ट्रेशन न0	चेचिंस न0	इंजन न0	वाहन का प्रकार	दाखिला दिनांक
1	कन्धरापुर	लावारिश वाहन	UP 65 Z 2472	04E16F30169	04E15E29176	अल्टो कार	23.12.2002
2	कन्धरापुर	लावारिश वाहन	UP 32 FZ 9046	MD634KE63E2PO1887	0E6PE2080577	अपाची	10.08.2022
3	कन्धरापुर	लावारिश वाहन	UP 65 BU 2081	ME4JF502HE7187909	JF50E71187934	यमहा फ्रेजर	09.04.2022
4	कन्धरापुर	लावारिश वाहन	UP 62 A 5859	1L1373986	1L1373986	यमहा RX 100	23.04.2021
5	कन्धरापुर	लावारिश वाहन	UP50 R 1673	MBLKC12EB8GH02255	KC12EB8GH01954	CBZ स्ट्रीम	19.06.2011
6	कन्धरापुर	लावारिश वाहन	AS 17 A 1272	MBLJA06EG8GH09819	JA06EB8GH10238	ग्लैमर	03.03.2021
7	कन्धरापुर	लावारिश वाहन	GJ 15 CC 6625	DMFBJG09050	DMMDJG91102	कावासाकी बजाज	09.04.2021
8	कन्धरापुर	लावारिश वाहन	UP 53 AN 7322	MDLHA10ER9GM02012	HA10EB9GL49253	PASSION	23.01.2020